

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन भोपाल

क्रं./निर्माण/बी.ओ.टी.तौ.का./2018-19/177

भोपाल, दिनांक 13/06/2019

“निविदा आमंत्रण सूचना”

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में (सूची अनुसार) खुली निविदा के माध्यम से 3 लिफाफा पद्धति से उपलब्ध छोटे इलैक्ट्रॉनिक तौलकांटे (01 किंवटल से 10 किंवटल तक क्षमता) जहां है जैसी स्थिति में हैं के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु वार्षिक राशि के आधार पर दिनांक 09.07.2019 समय सायं 5:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से अधीक्षण यंत्री म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल में निविदा आमंत्रित की जाती है, एवं प्राप्त निविदाएं म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल में उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष नियत स्थान, दिनांक एवं समय पर खोली जावेंगी।

क्रं0	छोटे इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा रखरखाव का स्थान (ग्रुप)	तौल कांटे की संख्या	धरोहर राशि(रुपये) ग्रुप वार पृथक—पृथक	निविदा प्रपत्र की कीमत
1	2	3	4	5
	ग्रुप (1)—इंदौर एवं उज्जैन संभाग की 4-4 मंडियां	मंडी बार पृथक—पृथक	10,000/-	रु. 2000/- ग्रुप बार पृथक—पृथक
	ग्रुप (2)—भोपाल एवं ग्वालियर संभाग की 4-4 मंडियां		10,000/-	
	ग्रुप (3)—जबलपुर एवं रीवा संभाग की 4-4 मंडियां		10,000/-	

शर्तें :— निविदा के सभी संशोधन मंडी बोर्ड की बेवसाइट www.mpmmandiboard.co.in पर जारी किए जायेंगे।

अधीक्षण यंत्री
 म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
 भोपाल

शर्तें :-

1. निविदा के सभी संशोधन मंडी बोर्ड की बेवसाइट www.mppmandiboard.co.in पर जारी किए जायेंगे।
2. इस निविदा में भाग लेने वाले निविदाकारों को ग्रुप बार धरोहर राशि रु. 10,000/-की राष्ट्रीय/शेड्यूल बैंक की एफ.डी.आर. जो लेखा अधिकारी म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के नाम से देय की मूल प्रति बिड के अन्य दस्तावेजों के साथ पृथक् 'अ' लिफाफे में निविदा प्रपत्र के साथ तक सिर्फ पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्तुत करना है, धरोहर राशि जमा के बिना निविदाकार को अयोग्य मानकर निविदा के अन्य तकनीकी बिड 'ब' एवं फाइनाइंसियल बिड 'स' के लिफाफे नहीं खोले जायेंगे।
3. निविदा प्रपत्र क्रय करने के लिये राशि रु. 2000/- का डिमांड ड्राफ्ट जो कि निविदा प्रपत्रों के साथ लेखा अधिकारी म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के नाम देय हो की मूल प्रति निविदा के साथ पृथक् लिफाफे में जमा करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र की कीमत के डी.डी के बिना निविदाकार को अयोग्य मानकर निविदा अन्य लिफाफे 'अ' 'ब' एवं 'स' नहीं खोले जायेंगे।
4. नियम व शर्तें निविदा प्रपत्र के अनुसार मान्य होगी।
5. निविदा के साथ व्यक्ति/फर्म/संस्था/सहकारी संस्थायें स्वरूप द्वारा लिफाफा 'ब' में निम्नानुसार स्वप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होंगे।
 - (अ) Registrations of Firm/ establishment (गुमाश्ता)
 - (ब) PAN No.
 - (स) GST Registration (अनिवार्य नहीं)
 - (द) विगत वर्ष तक का GST Tax Clearance certificate (अनिवार्य नहीं)
 - (ई) Affidavit on Rs.100/- stamp stating that documents submitted Physically are correct & No close relatives'are working in mandi board/krishi upaj mandi samiti
 - (फ) विगत 5 वर्षों का संबंधित कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र एवं उपलब्ध इंजीनियरों मैकेनिकों की सूची/अनुभव प्रमाण पत्र संस्था प्रमुख के स्तर से प्रमाणित होना आवश्यक होगा।
 - (ग) मापतौल विभाग (विधिक) से जारी सुधारक का लाईसेंस (जिलावार)
(निविदा कर्ता के स्वयं का अथवा उसकी फर्म में कार्यरत किसी कर्मचारी का)
6. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त हुए दस्तावेजों को मान्य नहीं किया जावेगा। उपरोक्त सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों दिनांक 19 जून 2019 समय 5:30 बजे तक सिर्फ पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा निम्न पते पर प्रस्तुत करें :—

अधीक्षण यंत्री (मैकेनीकल)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26—अरेरा हिल्स भोपाल,

7. निविदाएं निम्नानुसार प्रस्तुत करना होंगी—
निविदा प्रपत्र की कीमत रु. 2000/-का डिमांड ड्राफ्ट
लिफाफा 'अ'—धरोहर राशि की एफ.डी. आर. का लिफाफा
लिफाफा 'ब'—तकनीकी बिड का लिफाफा जिसमें सभी अन्य वांछित आवश्यक दस्तावेज बिन्दु क्रं. 5
अनुसार है।
लिफाफा 'स'— वित्तीय ऑफर का लिफाफा

नोट:- उपरोक्त क्रम में ही सभी लिफाफे खोले जावेगें, क्रमबद्ध वांछित अभिलेख प्राप्त होने पर ही आगामी लिफाफा खोला जावेगा।

निविदा की नियत तिथियाँ कार्यालयीन समय में

(1)	निविदा प्रपत्र क्य करने की प्रारंभ दिनांक	17-06-2019
(2)	निविदा प्रपत्र क्य करने की अंतिम दिनांक	01-07-2019
(3)	निविदा बिड submission end date	09-07-2019
(4)	ऑफर खोलने की दिनांक एवं समय	10-07-2019

कार्यालय म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म.प्र.)
**विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में उपलब्ध छोटे इलैक्ट्रॉनिक तौलकांटों
(01 किंवटल से 10 किंवटल क्षमता) का रखरखाव का “निविदा प्रपत्र”**

1. निविदाकर्ता व्यक्ति / फर्म का —
नाम
2. निविदाकर्ता व्यक्ति / फर्म
संस्था / का जी.एस.टी. —
रजिस्ट्रेशन विवरण
निविदाकार का
प्रकारः—निर्माता / अधिकृत
एजेन्ट / अन्य विवरण
3. फर्म का अनुभव प्रमाण पत्र व —
पदाधिकारियों की सूची
4. अन्य जानकारी जो —
निविदाकर्ता आवश्यक समझे
5. जमा की गयी धरोहर राशि — F.D.R. क्रमांक व बैंक का
का विवरण
नाम
दिनांक
राशि रु.

6. पत्र व्यवहार का पता —

दूरभाष नंबर मो.नं.

ई—मेल आई डी

निविदाकर्ता फर्म/व्यक्ति के हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम

कार्यालय म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म.प्र.)

मेरे/हमारे द्वारा निविदा की सभी शर्तें को पढ़कर समझ लिया है।
मंडी द्वारा प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर लिया है। इसके उपरान्त मेरे/
हमारे द्वारा निम्नानुसार अपना वाणिज्यिक प्रस्ताव दिया जाता है। यदि मंडी
बोर्ड तौलकॉटा सुधार कार्य एवं रखरखाव हेतु मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव
को स्वीकृत करती है तो मै/हम आवंटन हेतु निर्धारित सभी शर्तें का पालन
करेंगे। (संलग्न विस्तृत शर्तें)

- (1) इलेक्ट्रानिक तौलकॉटे की क्षमता 01 किवंटल से 10 किवंटल तक
(2) वार्षिक रखरखाव एवं मरम्मत की राशि अंको में रु. प्रति
तौलकांटा जिसमें खराब पार्ट्स बदलना भी शामिल रहेगा।
शब्दों में रु.
दिनांक

निविदाकर्ता फर्म/व्यक्ति के हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, जिला (म.प्र.)

(मुख्य मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण)

बी०ओ०टी० आधार पर छोटे तौलकॉटा एवं रखरखाव की विस्तृत शर्तें

1. तौल कांटा रखरखाव एवं मरम्मत कार्य की अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी।
2. स्वीकृति पत्र जारी करने के पश्चात 15 कार्य दिवस के अन्दर निविदाकार को निर्धारित प्रपत्र पर अनुबंध करना होगा।
3. तौल—कांटा रखरखाव एवं मरम्म हेतु आमंत्रित निविदाओं में निविदाकार द्वारा निविदा के साथ धरोहर राशि रु. 10,000/- (शब्दों में रूपये दस हजार मात्र) लेखाधिकारी म.प्र.राज्य कृषि विषयन बोर्ड भोपाल के नाम राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शड्यूल बैंक के माध्यम से F.D.R. के रूप में, राशि जमा की जावेगी।
4. निविदाकर्ता को अपने स्वयं के व्यय पर तौल—कांटे को सुधार उपरांत उपयोग में लाने के पूर्व नाप तौल विभाग के नियमों में यथा निर्धारित समयावधियों पर तौल—कांटे का सत्यापन एवं स्टेपिंग, नाप तौल विभाग से मण्डी समिति के सचिव के समक्ष कराया जाना आवश्यक होगा एवं तत्संबंधी प्रमाण—पत्र भी मंडी समिति में जमा करना होगा।
5. तौल—कांटे की कार्य प्रणाली का निरीक्षण/जांच, शासन/मंडी बोर्ड/मंडी समिति के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकेगा, जिसमें संबंधित तौल कांटा सुधारक द्वारा पूर्ण सहयोग देना होगा।
6. तौल—कांटे में संचालन के दौरान कोई तकनीकों खराबी आती है तो उसे अविलंब ठोक करना होगा तथा नाप—तौल निरीक्षक से प्रमाण पत्र प्राप्त कर मण्डी समिति के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि 24 घंटे के अंदर खराबी दूर नहीं होगी तो रु. 100/-प्रतिदिन पैनाल्टी बसूल की जायेगी। तौल में कोई अन्तर नहीं आवे इस हेतु तौल की शुद्धता की जांच हेतु आधा किलोग्राम से लगाकर 100 किलोग्राम तक के मानक वजन/बॉट भी हर समय तौल—कांटे पर उपलब्ध रखना आवश्यक होगा। इन मानक वजन/बॉटों को भी प्रतिवर्ष नाप—तौल निरीक्षक से स्टेपिंग करवाना अनिवार्य होगा।
7. तौल—कांटा आवंटन में विहित एवं पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने पर अथवा नियम विरुद्ध आवंटन होने पर प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड स्वप्रेरणा से या प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच करवाकर तथा तौल—कांटा संचालक एवं मण्डी के सचिव को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त निर्देश/आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत होंगे और प्रबंध संचालक द्वारा जारी निर्देश/आदेश उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।
8. विवाद की स्थिति में प्रकरण के निराकरण हेतु मध्यस्थ (Arbitrator) के रूप में प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य कृषि विषयन बोर्ड भोपाल होंगे, जिनका विनिश्चय अंतिम होगा तथा उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।

9. न्यायालयीन वाद-विवाद की स्थिति में मण्डी समिति द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में न्यायालयीन क्षेत्र संबंधित मण्डी समिति का जिला न्यायालय तथा मण्डी बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में न्यायालयीन क्षेत्र जिला न्यायालय भोपाल रहेगा।

सचिव

कृषि उपज मंडी समिति
..... जिला

भारसाधक अधिकारी/अध्यक्ष

कृषि उपज मंडी समिति
..... जिला

निविदाकर्ता व्यक्ति/फर्म/संस्था/सहकारी संस्था के हस्ताक्षर